

भारत सरकार

बजट की

मुख्य

विशेषताएं

2025-2026

फरवरी, 2025

वित्त मंत्रालय बजट प्रभाग

विकास यात्रा



ईंधनः सुधार



मार्गदर्शक प्रेरणाः समावेशिता



गंतव्य : विकसित भारत



देश सिर्फ भूमि नहीं, बल्कि इसके लोग हैं




गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय

कृषि विकास को बढ़ावा और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना



प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना-कृषि जिला विकास कार्यक्रम

100 जिलों को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है



दलहन में आत्मनिर्भरता

त्र, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6-वर्षीय मिशन का प्रारंभ

- जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास एवं वाणिज्यिक उपलब्धता
- प्रोटीन की मात्रा को बढाना
- उत्पादकता में वृद्धि
- कटाई के बाद भंडारण में सुधार और प्रबंधन, किसानों को लाभकारी कीमत प्रदान करना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक

- ग्रामीण समुदाय के आस-पास स्थित
- संस्थागत खाता सेवाएं;
- डीबीटी, कैश आउट और ईएमआई पिक-अप
- सक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट सेवाएं
- बींमा; और
- डिजिटल सेवाओं की सहायता।

गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय

एमएसएमई को सहायता एवं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना





सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड: उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड। प्रथम वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे

पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना: महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित 5 लाख पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी, ताकि अगले 5 वर्षों के दौरान ₹ 2 करोड़ तक के ऋण दिए जा सकें



निम्नलिखित पर जोर देने के अधिदेश के साथ विनिर्माण मिशन

- व्यापार करने की सुगमता और लागत;
- मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य हेतु तैयार कामगार;
- जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्रः
- प्रौद्योगिकी की उपलब्धताः
- गुणवत्तापूर्ण उत्पादः;
- जलवायु-अनुकूल विकास के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण

गारंटी सुरक्षा के साथ ऋण की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि

₹ करोड़ में	ऋण गारंटी स्रक्षा			
	वर्तमान	संशोधित		
एमएसई	5	10		
स्टार्टअप	10	20		
निर्यातक	20 करोड़ रुपए तक के सावधि			
एमएसएमई	ऋण			

श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय

- फुटवियर और लैंदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम: आशा है कि इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, ₹4 लाख करोड़ का टर्नओवर और ₹ 1.1 लाख करोड़ के निर्यात होंगे
- खिलौना क्षेत्र के लिए उपायः ऐसे क्लस्टरों, कौशलों और विनिर्माण इको सिस्टमों पर जोर देना, जिससे ऐसे उच्च गुणवत्तापूर्ण, अनूठे और टिकाऊ खिलौनों का निर्माण हो, जो 'मेड इन इंडिया' ब्रांड का प्रतिनिधित्व करें।
- खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता: बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता तथा रोजगार के अवसर।

एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन



₹ करोड़ में	निवेश		टर्नओवर		
	वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित	
सूक्ष्म उद्यम	1	2.5	5	10	
लघु उद्यम	10	25	50	100	
मध्यम उद्यम	50	125	250	500	

गरीब, युवाओं, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय

लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश









सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

आईआईटी में क्षमता का विस्तार

सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केन्द्र

भारतीय भाषा पुस्तक स्कीमः स्कूली और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी

कौशल प्रशिक्षण के लिए 05 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारियां होंगी

अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं: अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी

शिक्षा के लिए कृतिम बुद्धिमता उत्कृष्टता केन्द्र जिसका कुल परिव्यय ₹500 करोड होगा

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्रॉडबैन्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार: अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य से 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी

पीएम स्वनिधि: बैंकों से अधिक ऋणों, यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्डों और क्षमता निर्माण सहायता के साथ स्धार किए जाएंगे


ऑनलाइन प्लेटफार्म कामगारों का कल्याण: ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी

गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय

लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश

अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता: 1.5 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण और सुधारों के लिए प्रोत्साहन


जल जीवन मिशन: 100 % कवरेज प्राप्त करना, बढ़े हुए परिव्यय के साथ मिशन का विस्तार 2028 तक किया गया वियुत क्षेत्र में सुधार: वितरण सुधारों के लिए प्रोत्साहन तथा राज्य के भीतर ट्रांसमिशन में वृद्धि। ये सुधार करने पर राज्यों को जीएसडीपी की 0.5 % की अतिरिक्त उधारी



परिसंपति मौद्रीकरण योजना 2025-30: नई परियोजनाओं में ₹ 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस लाने के लिए शुभारंभ शहरी चुनौती निधि

'विकास केन्द्रों के रूप में शहर', 'शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' का प्रस्ताव कार्यान्वित करने के लिए र 1 लाख करोड़

सामुद्रिक विकास निधि सरकार द्वारा 49% तक योगदान के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए ₹25,000 करोड़ का संग्रह विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशनः निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय साझेदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल देयता अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे **उड़ान:** अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी



भविष्य में बिहार की जरुरते

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पश्चिमी कोशी नहर, ईआरएम परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता स्वामिह निधि 2

मिश्रित वित्त<mark>पोषण</mark> सुविधा के माध्यम से 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के लिए ₹ 15,000 करोड़

रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन राज्यों को साथ साझेदारी से शीर्ष 50 पर्यटक गंतव्य स्थलों का विकास किया जाएगा

सुव्यवस्थित ई-वीजा सुविधाओं की शुरूआत

हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम राज्यों को निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन

होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण

पर्यटक गंतव्यों तक यात्रा की सुगमता और संपर्क

गरीब, य्वा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय

((y))

लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश

पीएम अनुसंधान अध्येतावृत्तिः

आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10 हजार अध्येतावृत्ति प्रदान करना.

फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक

भविष्य में खाद्य और पोषाहारीय सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों वाला दुसरा जीन बैंक

ज्ञान भारतम मिशन

1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए हमारी पांडुलिपि धरोहर का प्रलेखीकरण और संरक्षण। ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा।

अन्संधान, विकास और नवाचार

निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल के कार्यान्वयन के लिए ₹ 20,000 करोड़ का आवंटन

राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन

बुनियादी भू-स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करना। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए भू अभिलेखों, शहरी योजना और योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण में






- निर्यात संवर्धन मिशन: क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों से एमएसएमई को निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा और विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ की समस्या का सामना करने में मदद।
- भारत ट्रेड नेट : व्यापार प्रलेखीकरण और वित्तपोषण समाधानों के लिए एकीकृत प्लेटफार्म के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु 'भारत ट्रेड नेट' (बीटीएन) नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। वैश्विक आपूर्ति श्रंखलाओं के साथ एकीकरण हेतु सहायता
- जोसी सी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क : उभरते हुए टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन ।
- **एयर कार्गों के लिए भंडारगृह की सुविधा** : उच्च मूल्य के शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गों हेतु अवसंरचना और भंडारगृह के उन्नयन की स्विधा

ईंधन के रूप में सुधार

वितीय क्षेत्र में सुधार और विकास



कर सुधार

प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और **नया आयकर विधेयक** लाने का का प्रस्ताव

विनियामक सुधार

उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत आधारित सरल विनियामक फ्रेमवर्क

- विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति
- राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक
- एफएसडीसी तंत्रः वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा उनकी प्रतिक्रियात्मकता बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा।
- जन विश्वास विधेयक 2.0: विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर-अपराधिक घोषित करना।

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

औद्योगिक माल के लिए सीमा शुल्क टैरिफ की संरचना को तर्कसंगत बनाना



07 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा



एक से अधिक उपकर या अधिभार का उद्ग्रहण न करना



प्रभावी डयूटी इन्सीडेन्स बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपकर लगाना

क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव

मेक-इन इंडिया- एलईडी/एलसीडी टीवी के लिए ओपन सेल, टैक्सटाइल के लिए लूम, मोबाइल फोनों और ईवी की लिथियम आयन बैटरी से संबंधित पूंजीगत माल के ले छूट।

एमआरओ का संवर्धन – जलपौत निर्माण और पूराने जहाजों को तोड़ने से संबंधित माल के संबंध में 10 वर्ष की छूट तथा मरम्मत के लिए आयातित रेलवे माल के निर्यात की समय सीमा का विस्तार।

निर्यात संवर्धन –हस्तशिल्प और लेदर क्षेत्रों के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट।

व्यापार मुविधा- अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई; स्वीकृति के बाद महत्वपूर्ण तथ्यो की स्वेच्छा से घोषणा करने तथा ब्याज सहित लेकिन बिना जुर्माने के शुल्क का भुगतान करने के लिए नया प्रावधान; समय सीमा के बढ़ाकर एक वर्ष करने तथा मासिक के स्थान पर तिमाही विवरण दाखिल करने के लिए आरजीसीआर(IGCR) नियमों में संशोधन किए गए

ीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता में सुधार

- 36 जीवन-रक्षक दवाओं/ औषधियों को छूट प्राप्त सूची;
- 6 दवाओं को 5% शुल्क वाली सूची;
- 37 दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट प्राप्त सूची में जोडना


(द्र्लभ रोगों, कैंसर, गंभीर चिरकालिक बीमारियों की दवाइयां)

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

ट्यावसायिक सुगमत

- तीन वर्षीय ब्लॉक अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में न्यूनतम मूल्यनिर्धारण हेतु एक योजना का शुभारंभ
- मुकदमेबाजी को कम करने और अंतरराष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान करने के लिए सुरक्षित हार्बर नियमावली के दायरे को बढ़ाना

मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान के साथ वैयक्तिक आयकर सुधार



कठिनाइयों को दूर करने के लिए टीडीएस/टीसीएस का युक्तीकरण वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती ₹ 50,000 से दोगुना करके ₹ 1 लाख किया गया।

किराए पर टीडीएस के लिए ₹2.4 लाख वार्षिक सीमा को बढ़ाकर ₹6 लाख किया गया।

स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन


अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय-सीमा को वर्तमान में दो वर्ष से चार वर्ष तक बढ़ाया गया


अन्पालन बोझ को कम करना

छोटे धमार्थ न्यासों/संस्थाओं के लिए उनकी पंजीकरण की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करके अनुपालन को कम किया गया। करदाताओं को बिना शर्त (पहले सशर्त) स्वयं के कब्जे वाली 02 सम्पत्ति (पहले 01) के वार्षिक मूल्य का दावा करने की अनुमति।


जिगार औ निवेश


- इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए कर निश्चितता
- अंतर्देशीय जलयानों हेतु टनभार कर स्कीम
- स्टार्ट-अप के निर्गमीकरण के लिए पांच वर्षों का विस्तार
- वैश्विक कंपनियों के शिप लिजिंग यूनिटों, बीमा कार्यालयों और ट्रेजरी केन्द्र को विशेष लाभ जो **आईएफएससी** में स्थापित हैं
- अवसंरचना और ऐसे अन्य क्षेत्रों में निवेश करते हुए प्रतिभूतियों से हुए अभिलाभों पर श्रेणी I और श्रेणी II एआईएफ संबंधी कराधान की निश्वितता।







प्राप्ति







व्यय





मजबूत आर्थिक बुनियाद





प्रमुख मदों का व्यय

	रक्षा 4,91,732
	ग्रामीण विकास 2,66,817
	गृह मंत्रालय 2,33,211
****	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप 1,71,437
	शिक्षा 1,28,650
	स्वास्थ्य 98,311
	शहरी विकास 96,777
999	सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार 95,298
4	ऊर्जा 81,174
	वाणिज्य और उद्योग 65,553
	समाज कल्याण 60,052
	वैज्ञानिक विभाग 55,679 ₹ करोड़ में